दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेशः- 1188 दिनांकः- 30/12/2022

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर **श्रीमती ललिता कुमारी धर्मपत्नी श्री रवि कुमार**, उप निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) [वरि.सं. 233], जिनकी तैनाती वर्तमान में पी.एम.उदय (मुख्यालय) में हैं, को **निदेशक (मिनिस्ट्रीयल)** के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 12 (78,800-209,200/- रू.) में (जो कि छठे वेतन आयोग में 15600-39100/-रू. के पे बैंड में 7600/- रू. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते है । **यह आदेश दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी होंगे ।**

2. यदि उपरोक्त अधिकारी को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 15600-39100/- रू. के वेतनमान में 7600/- रू. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 12 है) पहले ही वितीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नही होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 12 में निर्धारित होगा । यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के आधार पर एफ.आर.22(I)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश की प्रभावी होने की तिथि के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(I)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं ।

3. निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर **श्रीमती ललिता कुमारी धर्मपत्नी श्री रवि कुमार,** की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें आगे की तैनाती हेतु आयुक्त (कार्मिक) को रिपोर्ट करने का आदेश किया है।

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है । उनकी पदोन्नति उनके नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी ।

30/12/22
(विनीत जैन)
आयुक्त (कार्मिक)

सं.एफ.10(59)2022/सी.सी./ 1020 दिनांकः- 30/12/2022
प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. उपाध्यक्ष के विशेष कार्यकारी अधिकारी, दि.वि.प्रा. को सूचनार्थ ।
2. प्रधान आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
3. आयुक्त (कार्मिक) / (पी.एम.उदय) , दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
4. निदेशक (कार्मिक)-1 / सतर्कता 1 - 2, दि.वि.प्रा. ।
5. उप निदेशक (कार्मिक)-1 / सतर्कता(प्रशा.) / आरक्षण कक्ष, दि.वि.प्रा. ।
6. उप निदेशक (पी.एम.आई.एस.), दि.वि.प्रा.- आदेश को डी.डी.ए. की वेबसाइट पर डालने हेतु ।
7. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 / गोपनीय कक्ष - 2, पी.एम.आई.एस., दि.वि.प्रा. ।
8. लेखाधिकारी (संस्था.) राजपत्रित, दि.वि.प्रा. ।
9. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
10. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल ।

(प्रमोद कुमार)
उप निदेशक (गोपनीय शाखा)